न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**
राजस्व वाद संख्या :- 24/2022

वादीः- अर्चना कंवर पत्नी धनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जैतीवास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगणः-

1. अजीतसिंह
2. नेपालसिंह पिसरान भारतसिंह
3. रूपसिंह
4. राजेन्द्रसिह
5. हडमानसिंह पिसरान हरिसिंह जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम जैतीवास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थितिः- वादी - श्री डी डी रामावत एडवोकेट।
प्रतिवादी सं0 1 से 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी सं. 6- सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांक :-** 8/01/25

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जैतीवास तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा नम्बर 735/1 रकबा 0.74430 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय स्थित है। उक्त भूमि पक्षकारान वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 की पुश्तैनी हखातेदारी कब्जासुदा भूमि है। उक्त भूमि ग्राम जैतीवास के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी के खाता संख्या 705 पर दर्ज है। जिसे वाद में वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया गया है। वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की सहखातेदारी की भूमि है, जिसमें वादीया का 4/115 वां हिस्सा है तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का है। हिस्से माफिक पक्षकारान का मौके पर बतौर सहखातेदार कब्जा है तथा इसी माफिक उनका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 735/1 निश्चायक रूप से पक्षकारान की सहखातेदारी की भूमि है। जिसमें वादीया का निश्चायक रूप से हक हिस्सा है। इसके उपरान्त प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि के पश्चिमी माठ के सहारे मौके पर कायम रास्ता की आड़ में वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में वादीया के खातेदारी अधिकारों को दिनांक 10.12.2021 को इन्कार कर दिया तथा न केवल मौके पर रास्ता अवरूद्ध कर दिया बल्कि समझाईश पर वादीया को वादग्रस्त जमीन से बेदखल करने की एलानिया धमकी दी, जिस पर वादकारण वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 10.12.2021 को बमुकाम ग्राम जैतीवास उत्पन्न हुआ, जो सतत् जारी है।

अन्त में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि में से वादीया को उसके 4/115 वां हिस्से की भूमि को माप एवं सीमांकन के आधार पर उसे अलग बंटवाड़े मे प्रदान किया जावे एवं वादीया के बंटसुदा भूमि में किसी भी रीति से दखल नही करने हेतु प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का दावा दिनांक 31.07.2023 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम जैतिवास तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 735/1 रकबा 0.74430 हैक्टयर का राजस्व

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया जाकर वादी के 4/115 वां हिस्सा की भूमि का बंटवाडा प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाडा को आदेश प्रदान किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाडा ने बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है

क्र.सं.	नाम काश्तकार	खसरा नम्बर	रकबा
1	अर्चना कंवर पत्नी धनसिंह हिस्सा पूर्ण जाति राजपूत सा.देह	735/1	0.0259
	कुल योग	1	0.0259
2	अजीतसिंह पुत्र भारतसिंह हि. 465/3592 जाति राजपूत सा.देह (रहन SSBJ Bilara) धनुकंवर पत्नी हडमानसिंह हि. 267/3592 जाति राजपूत सा.देह नेपालसिंह पुत्र भारतसिंह हि.465/3592 जाति राजपूत सा.देह(रहन SSBJ Bilara) नाबा.युवराज सिंह भाटी पुत्र हडमान सिंह संरक्षक धनुकंवर हि. 267/3592 जाति राजपूत सा.देह राजेन्द्रसिंह पुत्र हरिसिंह हि. 1861/7184 जाति राजपूत सा.देह नाबा. शिवराजसिंह पुत्र हडमानसिंह संरक्षक धनुकंवर हि. 267/3592 जाति राजपूत सीता देवी पत्नी ओमप्रकाश हि. 1861/7184 जाति विश्नोई सा.रावर	735/1	0.7184
	कुल योग	735/1	0.7184

नोटः– उक्त बंटवाडा प्रस्ताव में प्रतिवादी सं. 4 रूपसिंह के स्थान पर जरिये बेचान नामान्तरकरण सीतादेवी पत्नी ओमप्रकाश का इन्द्राज तथा प्रतिवादी सं. 5 हडमानसिह के फौत होने पर उनके वारिसान पत्नी धनुकंवर पुत्र नाबा. नामान्तरकरण वर्तमान जमाबंदी में दर्ज है।

उक्त सारणी के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि मौका स्थिति अनुसार नजरी नक्शा के अनुसार बंट में रखी गयी। बंटवाडा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की इसलिए बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के अनुसार वादी के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 8/01/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादी :-	बनाम	प्रतिवादीगण
अर्चना कंवर		**अजीतसिंह**

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :- 24/2022

निर्णय **दिनांक :-** 8/01/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रुबरु हमारे व हाजरी श्री डी डी रामावत अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही, तथा प्रतिवादी संख्या 6 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। बंटवाड़ा प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज — मुबलिग — बाबत् —

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह -सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक -की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रुपया	पैसे	मुदायराह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा